सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Report of the

Society for Social Audit, Accountability and Transparency

Govt. of Rajasthan, Jaipur

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022–2023

प्रधान मंत्री
आवास योजना–ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी, राजस्थान, जयपुर
Email id :dir.socialaudit@rajasthan.gov.in
WebSite: www.socialaudit.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी **(SSAAT)**

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

Social Audit Report
2022-23

पुराने आवास की फोटो

लाभार्थी का नाम – श्री पेकाराम
पिता का नाम – श्री बागाराम देवासी
ग्राम पंचायत – मालपुरा उमेदपुर
पंचायत समिति – आहोर
जिला – जालौर

पूर्ण आवास का फोटो

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में श्री पेकाराम का निर्मित आवास
ग्राम मालपुरा, ग्रा.पं. उम्मेदपुरा पं.स. आहोर जिला जालौर, राजस्थान

क्र.सं.	विषय–सूची	पृष्ठ सं.
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का परिचय	5
2.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के उद्देश्य	6
	2.1 योजना के लाभार्थी	7
	2.2 लाभार्थी के कर्तव्य	8
	2.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अन्य प्रावधान	9
	2.4 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से देय लाभ	9
	2.5 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत देय लाभ	10
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के स्वीकृत मॉडल डिजाईन	11
4.	सामाजिक अंकेक्षण	13
	4.1 प्रस्तावना	13
	4.2 सामाजिक अंकेक्षण– उद्देश्य	14
	4.3 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT) का गठन	15
	4.4 कार्यान्वयन संस्था	16
	4.5 सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)	16
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता	17
6.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनुदान में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य	18
7.	सामाजिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता	19
8.	सूचना एवं निगरानी (रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग)	20
9.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सामाजिक अंकेक्षण का संभागवार विवरण	21
10.	पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के वर्ष 2022–23 में किये गए आवासों का सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित मुख्य बिन्दु	27
	10.1 अन्य सुविधा व अभिसरण की सूचना	27
11.	वर्ष 2022–23 में किए गए सामजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं	28
	11.1. अधिकतम अनियमितताओं का विवरण	30
	11.2 संभागवार विवरण अधिकतम अनियमितताओं का विवरण	31

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का परिचय

स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया और तब से लेकर अब तक यह गरीबी उपशमन के साधन के रूप में सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। जनवरी, 1996 में एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। यद्यपि आईएवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की जरूरतें पूरी की गई थीं, फिर भी वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा कराई गई निष्पादन लेखा परीक्षा और समवर्ती मूल्यांकन के दौरान कतिपय कमियों का पता चला था।

ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन कमियों को दूर करने और वर्ष 2022 तक "सभी के लिए मकान" उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजना को 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–(ग्रामीण) (पीएमएवाई–जी) में पुनर्गठित किया गया है। पीएमएवाई–जी का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे–फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चे टूटे–फूटे मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को तीन वर्षों में अर्थात 2016–17 से 2018–19 तक मकान उपलब्ध कराना है। मकान के न्यूनतम आकार को 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर साफ–सुथरे रसोई घर सहित 25 वर्गमीटर कर दिया गया है। इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रू. से बढ़ाकर 1.20 लाख रू. तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 75,000 रू. से बढ़ाकर 1.30 लाख रू. कर दी गई है। लाभार्थी मनरेगा योजना से 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी पाने के हकदार हैं। शौचालय के निर्माण के लिए एसबीएम–जी, मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य स्रोत से तालमेल बिठाकर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पाइप के जरिए पेयजल आपूर्ति, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन इत्यादि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने का भी प्रयास किया जाता है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना–(ग्रामीण) (PMAY-G) के अन्तर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चें तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारो को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सब के लिए घर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2021–22 तक 2.95 करोड आवासो का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक के तीन वर्षो में बेघर परिवारों/जीर्ण–शीर्ण मकानों में रहने वाले एक करोड परिवारो का लाभ पहुचाना तथा स्थानीय सामग्रियों, डिजायन तथा प्रशिक्षित राज मिस्त्रियों का उपयोग करते हुए अच्छे मकानों के निर्माण में मदद करना है। मकान को घर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल के माध्यम से पर्यावास दृष्टिकोण अपनाए जाने का प्रस्ताव है।

2.1 योजना के तहत लाभार्थी

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 (SECC-2011) डाटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होगे। जिसमें आवासहीन, कच्चा आवासधारी (एक कमरे एवं दो कमरे का कच्चा आवास) परिवार जिन्हे पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नही हुआ है, पात्र होंगे।

आवेदन कैसे करें

- ✓ वरीयता सूची में सम्मलित परिवार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत ई मित्र पर नि:शुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। वरीयता के आधार पर स्वीकृति जारी होने पर स्वीकृति की प्रति लाभार्थी को उपलब्ध कराते हुए लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ही प्रथम किश्त हस्तांतरित की जाती है।

सहायक दस्तावेज

- ✓ आधार कार्ड की प्रति लाभार्थी के सहमति पत्र के साथ
- ✓ बैंक पासबुक की प्रति
- ✓ जमीन पासबुक की प्रति
- ✓ पासपोर्ट साइज फोटो
- ✓ राशन कार्ड की प्रति
- ✓ मोबाइल नंबर (स्वयं या परिचित का)
- ✓ नरेगा जॉब कार्ड

2.2 लाभार्थी के कर्तव्य

- लाभार्थी को प्रथम किश्त प्राप्ति की दिनांक से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराना होगा।
- निर्मित आवास पर योजना का लोगो (प्रतीक चिन्ह) लगाने पर ही पूर्ण माना जावेगा।
- लाभार्थी द्वारा स्वीकृति के समय प्रस्तावित निर्माण स्थल में परिवर्तन अनुमत नहीं होगा।
- लाभार्थी द्वारा स्वीकृति के समय उपलब्ध कराये गये बैंक खाते का विवरण स्वीकृति उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमति पर एक बार ही परिवर्तन हो सकेगा। अतः खाते को आवास पूर्ण होने तक परिचालन में रखना आवश्यक होगा।
- प्रथम किश्त प्राप्ति के एक वर्ष उपरांत भी आवास निर्माण नहीं कराये जाने पर अनुदान राशि स्वत: ही बंद होने का प्रावधान, जिसको पुनः सक्षम स्तर से ही बढाने का प्रावधान है।

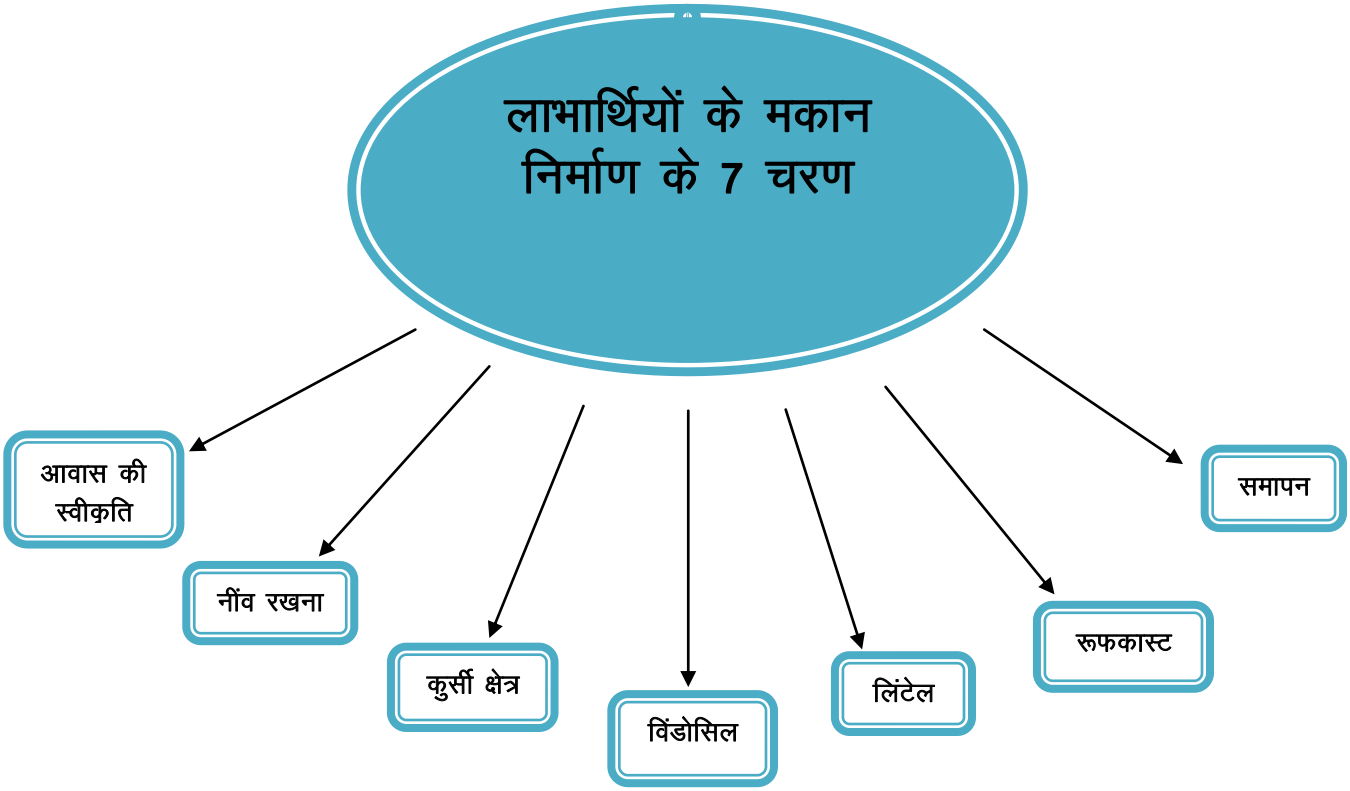

2.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अन्य प्रावधान

- आवास के साथ रसोईघर निर्माण का भी प्रावधान कर निर्मित क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर (269 वर्गफीट) निर्धारित किया गया है।
- आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी के द्वारा एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना होगा।
- पंजीकरण हेतु लाभार्थी का अथवा परिचित का मोबाईल नम्बर अनिवार्य किया है।
- अनुदान राशि का हस्तान्तरण PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में। स्वीकृति के लिए वर्तमान निवास एवं प्रस्तावित निर्माण स्थल की Geo Tagged फोटो अनिवार्य है।
- ग्रामसभा द्वारा तैयार वरीयता सूची क्रम में आवाससॉफ्ट के माध्यम से स्वीकृति जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें लाभार्थी को स्वीकृति की प्रति दिया जाना अनिवार्य है।
- योजना की प्रगति एवं किश्त की जानकारियों के लिए गूगल / एपल प्ले स्टोर पर "AwaasApp" निःशुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग लाभार्थी अपने स्वयं के मोबाईल नम्बर को आवाससॉफ्ट पर पंजीकृत करवाकर कर सकता है।
- लाभार्थी अनुमोदित आवास डिजाईनो में से किसी एक अथवा अपनी सुविधानुसार अन्य डिजाईन का आवास निर्माण कर सकता है।

2.4 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से देय लाभ

- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स के तहत 90 अकुशल मानव दिवस का पारिश्रमिक वर्तमान में (राशि रू. 22,950/– {255X90}) देय है।
- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के प्रावधान अनुसार अनुमत कार्य भूमि सुधार, कृषि / उद्यानिकी, लघु सिंचाई के कार्य कराये जा सकते हैं।
- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के प्रावधान अनुसार पात्र लाभार्थियों के आवास के साथ–साथ पशु छाया गृह निर्माण भी कराया जा सकता है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति / सौभाग्य योजना के प्रावधानों के अनुसार विद्युत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित JJM (जल जीवन मिशन) के प्रावधानों के अनुसार स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध ।
- उज्जवला योजनान्तर्गत गैस कनेक्शन।
- श्रमिक कार्ड जारी करवाकर श्रम विभाग की योजनाओ का लाभ ।

2.5 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत देय लाभ

योजनान्तर्गत लाभार्थी को देय अनुदान राशि रू 1,20,000/– आवास निर्माण के विभिन्न स्तरों पर 3 किश्तों में देय है। प्रथम किश्त आवास स्वीकृत होने पर रू 15,000/– द्वितीय किश्त व कुर्सी स्तर तक निर्माण पूर्ण करने पर रू 45,000/– तृतीय किश्त शौचालय निर्माण एवं छत स्तर तक का कार्य पूर्ण करने पर रू 60,000/– देय है ।

किश्त	आवास निर्माण स्तर	वर्ष 2016–17 में देय राशि	वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में देय राशि	वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 हेतु देय राशि
प्रथम	स्वीकृति के साथ	30000	30000	15000
द्वितीय	कुर्सी स्तर तक निर्माण पूर्ण करने पर	60000	48000	45000
तृतीय	शौचालय निर्माण एवं छत स्तर तक का आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने पर	30000	42000	60000

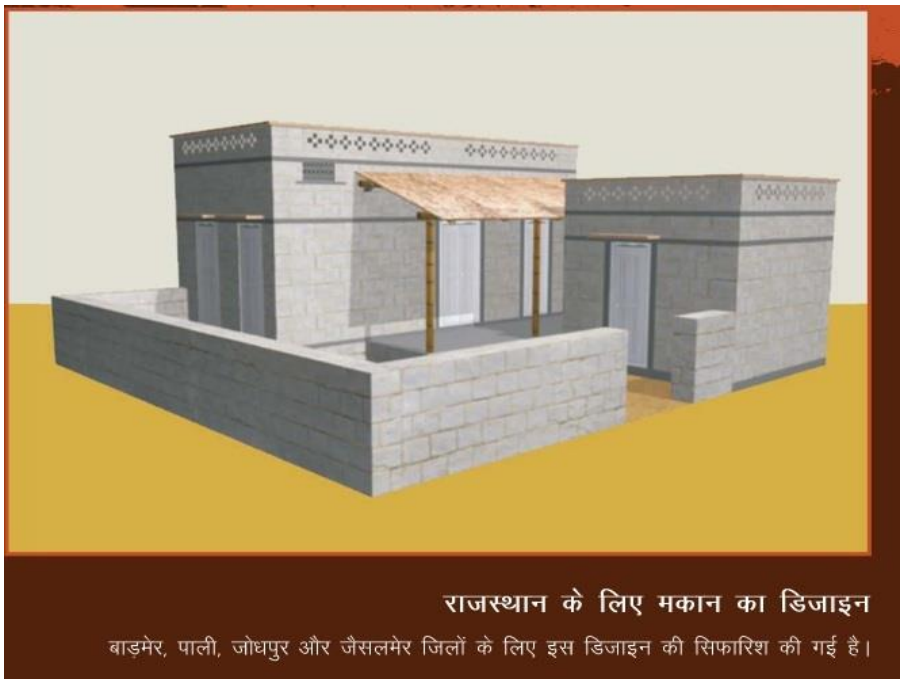

राजस्थान के लिए मकान का डिजाइन

बाड़मेर, पाली, जोधपुर और जैसलमेर जिलों के लिए इस डिजाइन की सिफारिश की गई है।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के स्वीकृत मॉडल डिजाईन

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण : मॉडल डिजाईन – 3

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण : मॉडल डिजाईन – 4

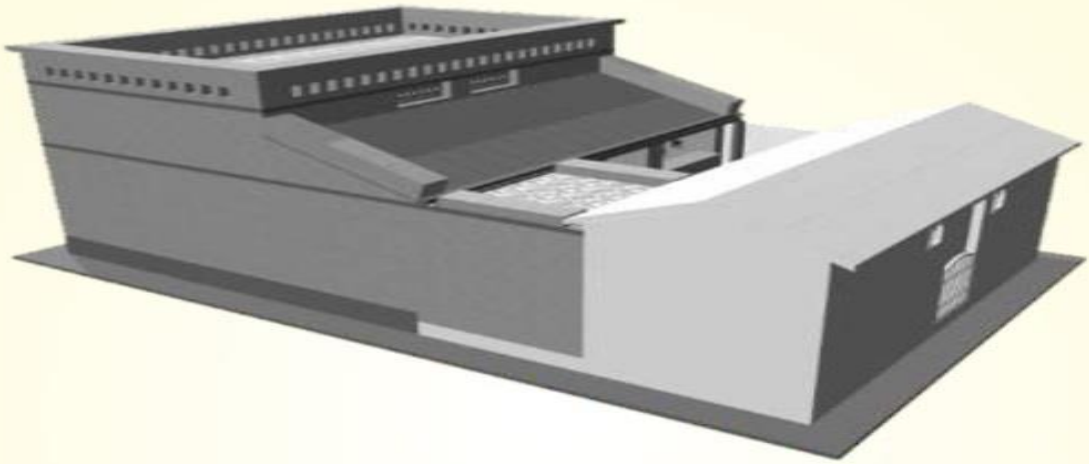

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण : मॉडल डिजाईन – 5

4. सामाजिक अंकेक्षण

4.1 प्रस्तावना

महात्मा गांधी नरेगा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 (2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में वर्णित इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु पिछली कमियों में सुधार करते हुए सामाजिक अंकेक्षण को और प्रभावी बनाने के विशेष प्रयास वर्तमान में किये जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 एवं महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 की भावना के अनुरूप प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय स्थापित किया हुआ था । सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा योजना के सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित समस्त कार्य, जिनमें वार्षिक कलैण्डर तैयार करना, संसाधन व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण एवं अभिनियोजन सुनिश्चित कराना, समय पर सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित कराना, सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही के उपरान्त उनका फॉलोअप करना आदि कार्य जिला कार्यक्रम समन्वयक के सहयोग से संपादित किए जा रहे थे। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहत्तर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। साथ ही वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा योजना, एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) पन्द्रहवाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है ।

4.2 सामाजिक अंकेक्षण– उद्देश्य

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वास्तविक लाभार्थियों को सम्पूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था ही ''सामाजिक अंकेक्षण'' है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शब्दों में "पारदर्शिता" एवं "जवाबदेहिता" लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं– एक अवधारणा के रूप में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता–दोनों के उद्देश्यों की जमीनी स्तर पर पूर्ती करता है। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत स्वैच्छिक संस्था "मज़दूर किसान शक्ति संगठन" द्वारा की गयी, जिसमें सरकारी कार्यों एवं व्यय का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान के भीलवाडा जिले में 2009–10 से प्रारम्भ किया गया। पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यों की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, ई–गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गयी तथा जनता को सरकारी रिकॉर्डों तक पहुँच प्रदान की गयी।

इस हेतु विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निर्देशों का समावेश किया हुआ है ताकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, कि समीक्षा जनसाधारण द्वारा होती रहे, समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पारदर्शितापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी शासन के सर्वोच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों तक सुगमतापूर्वक पहुंचे। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत् स्वीकार किया गया है। MGNREGA के अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।

सोशल ऑडिट की अवधारणा के तहत सूचनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम के लिए नीति बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक का ब्यौरा पारदर्शी हो सके। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के चरण निम्नानुसार है–

4.3 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M–13015/2012/MGNREGA Vii/ pt- दिनांक 11-08-2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11 (8)/ग्रा.वि. / नरेगा / सिविल सोसायटी / सा.अंके./ 2015 दिनांक 19-06-2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी. 49 / मं.मं. / 2019 दिनांक 27-06-2019 (परिशिष्ट-1) पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20-08-2019 है । (परिशिष्ठ-2) सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19-09-2019 में प्रकाशित की गई है ।

उपरोक्तानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई (SSAAT) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा, मिड–डे–मील योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

4.4 कार्यान्वयन संस्था

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत क्रियान्वन संस्था ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार है।

इस योजना के तहत, नाबार्ड ने 2017–18 से 2021–22 तक राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA), भारत सरकार के SPV को केंद्रीय हिस्से के आंशिक वित्तपोषण के लिए ऋण दिया है।

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की क्रियान्वयन संस्था ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार है।

4.5 सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)

भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1&11011/05/2013&RH दिनांक 17 फरवरी, 2015 के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के तहत योजनान्तर्गत इन्दिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के पैरा संख्या 8.3 व पैरा 8.3.3 के अनुसार योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के लिए निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण, मनरेगा को अधिकृत किया है एवं योजना के सामाजिक अंकेक्षण कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, समन्वय हेतु जिला परिषदों को हस्तान्तरित राशि से 1 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों का प्रत्येक छः माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण करवाने का प्रावधान है, उक्त योजना के साथ–साथ इस अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत समस्त कार्यों एवं स्वीकृत, प्रगतिरत एव पूर्ण आवास लाभार्थियों के सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना – 2011 (SECC-2011) डाटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होगे। जिसमें आवाहीन, कच्चा आवासधारी (एक कमरे एवं दो कमरे का कच्चा आवास) परिवार जिन्हे पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नही हुआ है, पात्र होंगे।

परिवार की पात्रता निम्न 14 मापदण्ड होने पर ही मान्य होगी।

1. मोटर साईकल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली नाव होने पर।
2. मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
3. किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
5. परिवार के गैर कृषि उद्धमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
6. परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह या अधिक होने पर।
7. इन्कम टेक्स देन पर।
8. व्यावसायिक कर देने पर।
9. स्वंय का रेफ्रिजरेटर होने पर।
10. स्वंय का लेण्डलाईन फोन होने पर।
11. स्वंय 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
12. 5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के मालिक के साथ दो या अधिक मौसमी फसल होने पर।
13. 7.5 एकड भूमि के साथ या अधिक, का एक सिचाई उपकरण के साथ होने पर।
14. किसी अन्य आवास योजना पूर्व में लाभान्वित होने पर।

उक्तानुसार ग्राम पंचायतवार/वर्गवार पात्रता सूचियां तैयार कर लाभार्थी के नाम के आगे सम्भावित स्वीकृति वर्ष का अंकन किया जावेगा।

मूल वरीयता सूची में शामिल लेकिन सत्यापन उपरान्त अपात्र परिवारों के सम्मुख अपात्रता के कारण स्पष्ट उल्लेखित/अंकन किया जावेगा। ग्राम पंचायतवार वरीयता सूचीयों की संकलित प्रति पंचायत समितिवार तैयार कर सार्वजनिक स्थलों/जनप्रतिनिधियों/राजकीय कार्यालयों में आमजन हेतु अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जावेगी।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) के अनुदान में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य

पंचायतीराज संस्थानों द्वारा इन अनुदानों के उपयोग में सार्वजनिक जवाबदेही की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया ऑडिट अनुशासन की आवश्यकताओं के साथ लोगों की भागीदारी और निगरानी को जोड़ती है। यह एक तथ्य खोजने की प्रक्रिया है न कि दोष खोजने की प्रक्रिया। यह एक बैलेंस शीट दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए (सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, भविष्य में जिन क्षेत्रों से बचना चाहिए और साथ ही गंभीर अनियमितताओं को सूचीबद्ध करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उपयोग सामाजिक लेखापरीक्षा के अन्य उद्देश्य पंचायतीराज संस्थानों द्वारा जारी अनुदानों में शामिल हैं:–

- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अनुदान और उनके उपयोग के बारे में ग्रामीण नागरिकों के बीच सूचना प्रसारित करना और जागरूकता फैलाना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के उपयोग में शामिल प्राथमिक हितधारकों की क्षमता निर्माण।
- समुदाय को बढ़ावा देना आधारित भागीदारी निगरानी प्रणाली।
- पंचायतीराज संस्थानों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- ग्राम सभा और सार्वजनिक सुनवाई (जनसुनवाई) जैसे सहयोगी प्लेटफार्मों की सुविधा के लिए जहां लाभार्थी, निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायतीराज संस्थानों के पदाधिकारी और अन्य हितधारक अपनी आवश्यकताओं, शिकायतों और मुद्दों को व्यक्त कर सकते हैं।
- निर्धारित प्रक्रियाओं और रिसावों में विचलन को कम करके प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अनुदान के उपयोग को मजबूत करना।
- शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाना।

7. सामाजिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजना है जो वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास समर्पित योजना है। एक मजबूत एमआईएस यानी आवाससॉफ्ट के माध्यम से योजना की प्रगति पर नजर रखने के अलावा, स्वतंत्र रूप से निगरानी करना भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में योजना का कार्यान्वयन क्षेत्र स्तर की चुनौतियों को प्रकाश में लाएगा जो अन्यथा दिखाई नहीं दे सकती हैं। इससे सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलेगी। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि योजना की निगरानी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट एक शक्तिशाली उपकरण है और इससे कार्यान्वयन में सुधार होता है ।

ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन

8. सूचना एवं निगरानी (रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग)

सामाजिक लेखा परीक्षा दल और रिसोर्स पर्सन लाभार्थियों के साथ में प्रक्रिया और प्रक्रियाविधि के संबंध में निम्नलिखित का सत्यापन करेगें **:-**

- क्या लाभार्थियों को उनके अधिकारों और हकों के बारे में जानकारी दे दी गई है ?
- क्या पीएमएवाई जी के तहत सहायता पाने के लिए पात्र लाभार्थियों की स्थाई प्रतीक्षा सूची एसईसीसी–2011 के आंकड़ों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार कर ली गई है ?
- क्या प्राथमिकता सूची से हटाने अथवा उसमें परिवर्तन किए जाने से संबंधित अपील अवसरों का लाभ मिल चुका है ?
- क्या पूरी प्रक्रिया और सूचियों को व्यापक रूप से प्रचारित कर दिया गया है ?
- क्या लाभार्थियों की वार्षिक चयन सूची स्थाई प्रतीक्षा सूची की प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर ली गई है ?
- क्या लाभार्थी का पंजीकरण आवास सॉफ्ट आदि में समय से दर्ज कर लिया गया है ?

उपरोक्त सत्यापन के बाद सामाजिक लेखा–परीक्षा दल के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की अध्यक्षता उस वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, जो उस ग्राम पंचायत या जो भी लागू हो या कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का हिस्सा नहीं है। ग्राम सभा या जो भी लागू हो उन सभी लाभार्थियों के लिए एक मंच होगा, जो लाभार्थियों की अंतिम सूची और वार्षिक चयन सूची और पीएमएवाईजी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे उठाने वाले अन्य ग्रामीणों के रूप में हों। सरकार सामाजिक लेखा–परीक्षा ग्राम सभा के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है। इन संपूर्ण प्रक्रियाओं की उचित तरीके से वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और इन्हें पी. एम. ए. वाई. जी. वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

9. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सामाजिक अंकेक्षण का संभागवार विवरण

सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में **कुल 33 जिलों का सामाजिक अंकेक्षण** किया गया, जिनका संभागवार विवरण निम्नानुसार है:–

संभाग का नाम	अंकेक्षित आवासो की संख्या
अजमेर	31189
जयपुर	5849
उदयपुर	109089
बीकानेर	26662
भरतपुर	15224
कोटा	40290
जोधपुर	109056
कुल अंकेक्षित आवास	**337359**

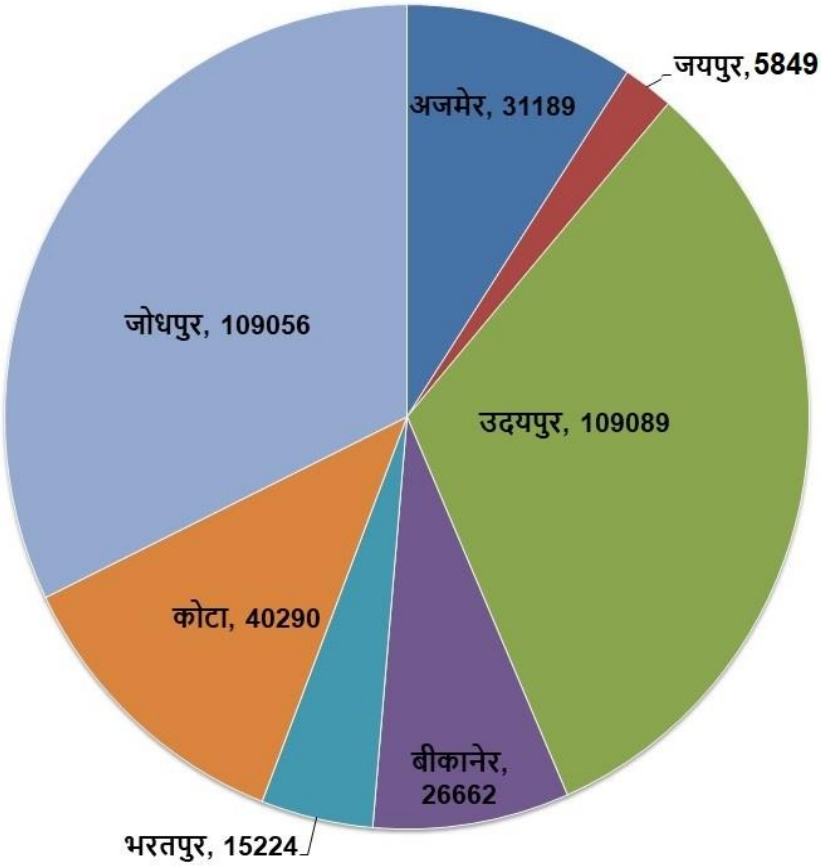

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वर्ष 2020–21, 2021–22 व 2022–23 तक स्वीकृत आवासों का सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन माह 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.सं	जिले का नाम	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	स्वीकृत आवासों की संख्या				कुल अंकेक्षित आवासो की संख्या वर्ष 2022–23
			वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	कुल आवासों की संख्या	
1	अजमेर	325	2439	6345	0	8784	8428
2	अलवर	561	0	2186	0	2186	1604
3	बांसवाड़ा	417	22562	28698	0	51260	50535
4	बारां	232	5733	13939	0	19672	18602
5	बाड़मेर	688	38041	39689	0	77730	66197
6	भरतपुर	400	1937	150	0	2087	1718
7	भीलवाड़ा	397	3809	20267	0	24076	5950
8	बीकानेर	366	8904	16227	0	25131	4754
9	बूंदी	184	7531	10892	0	18423	3896
10	चित्तौड़गढ़	299	3126	8491	0	11617	9948
11	चुरु	304	1437	6858	0	8295	1114
12	दौसा	284	0	1413	0	1413	910
13	धौलपुर	188	443	1938	0	2381	195
14	डूंगरपुर	353	6947	23198	0	30145	18712
15	हनुमानगढ़	268	2205	8484	0	10689	6956
16	जयपुर	585	0	2988	0	2988	2259
17	जैसलमेर	205	6578	15575	0	22153	12278
18	जालौर	306	7560	6538	0	14098	11422
19	झालावाड	254	12264	28908	0	41172	12070
20	झुंझुनू	336	16	357	0	373	347
21	जोधपुर	619	16247	16135	0	32382	15112
22	करौली	241	6106	7355	0	13461	5853
23	कोटा	156	1540	8392	0	9932	5722
24	नागौर	497	2959	9560	0	12519	11499
25	पाली	339	2607	7723	0	10330	796
26	प्रतापगढ़	234	7365	12639	0	20004	4792
27	राजसमंद	214	568	6700	0	7268	5620
28	सवाई माधोपुर	226	4719	12268	0	16987	7458
29	सीकर	373	48	804	0	852	729
30	सिरोही	170	3629	6775	0	10404	3251
31	श्रीगंगानगर	344	3192	17294	0	20486	13838
32	टोंक	236	5589	13165	0	18754	5312
33	उदयपुर	647	9598	31850	0	41448	19482
	कुल योग	**11248**	**195699**	**393801**	**0**	**589500**	**337359**

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वर्ष 2020–21, 2021–22 व 2022–23 तक स्वीकृत आवासों का सामाजिक अंकेक्षण संभागवार चार्ट निम्नानुसार हैः–

अजमेर संभाग :– अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाडा

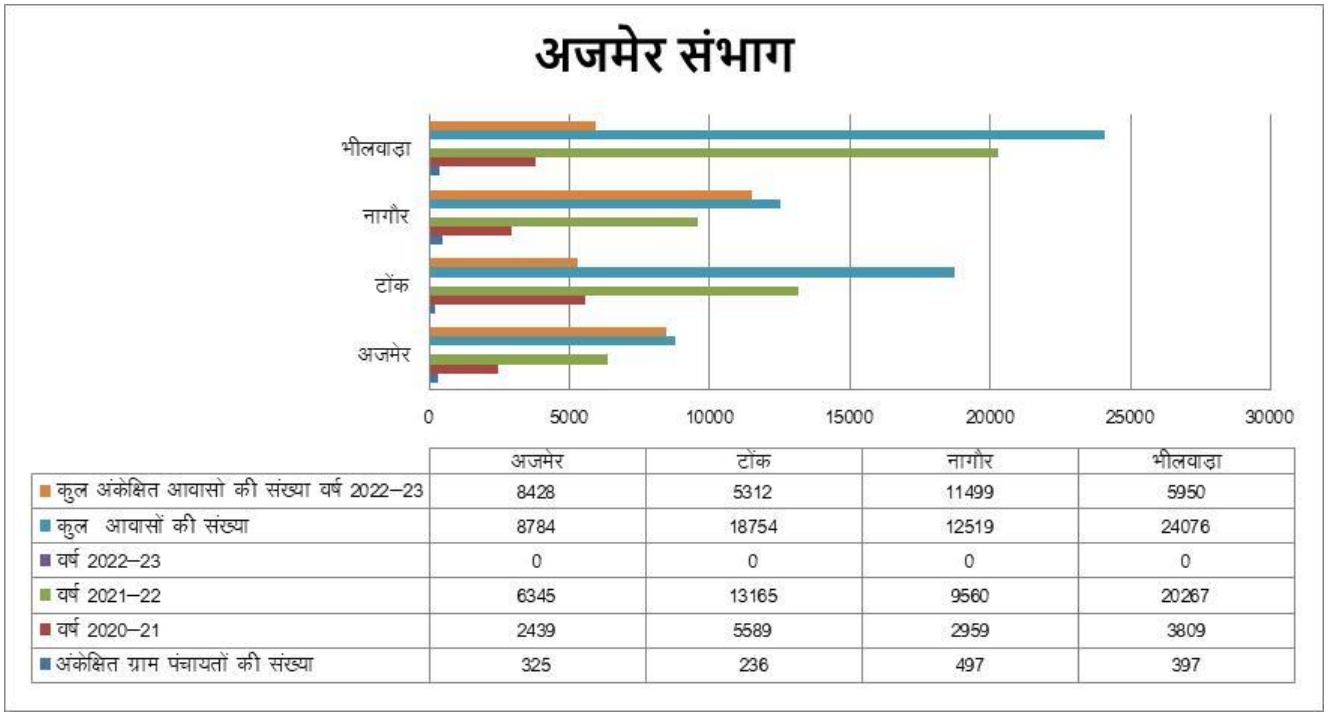

	अजमेर	टोंक	नागौर	भीलवाड़ा
कुल अंकेक्षित आवासो की संख्या वर्ष 2022–23	8428	5312	11499	5950
कुल आवासों की संख्या	8784	18754	12519	24076
वर्ष 2022–23	0	0	0	0
वर्ष 2021–22	6345	13165	9560	20267
वर्ष 2020–21	2439	5589	2959	3809
अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	325	236	497	397

जयपुर संभागः– जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर

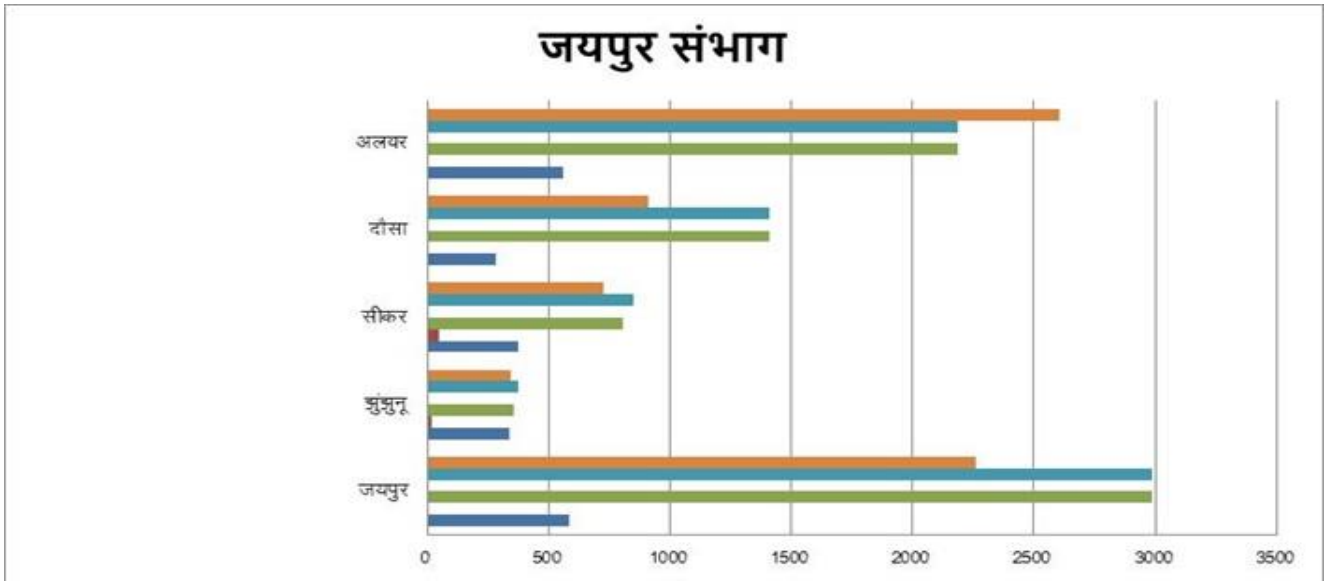

	जयपुर	झुंझुनू	सीकर	दौसा	अलवर
कुल अंकेक्षित आवासो की संख्या वर्ष 2022–23	2259	347	729	910	1604
कुल आवासों की संख्या	2988	373	852	1413	2186
वर्ष 2022–23	0	0	0	0	0
वर्ष 2021–22	2988	357	804	1413	2186
वर्ष 2020–21	0	16	48	0	0
अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	585	336	373	284	561

उदयपुर संभाग :– उदयपुर, प्रतापगढ, चितौडगढ, डुंगरपुर, बांसवाडा, राजसमंद

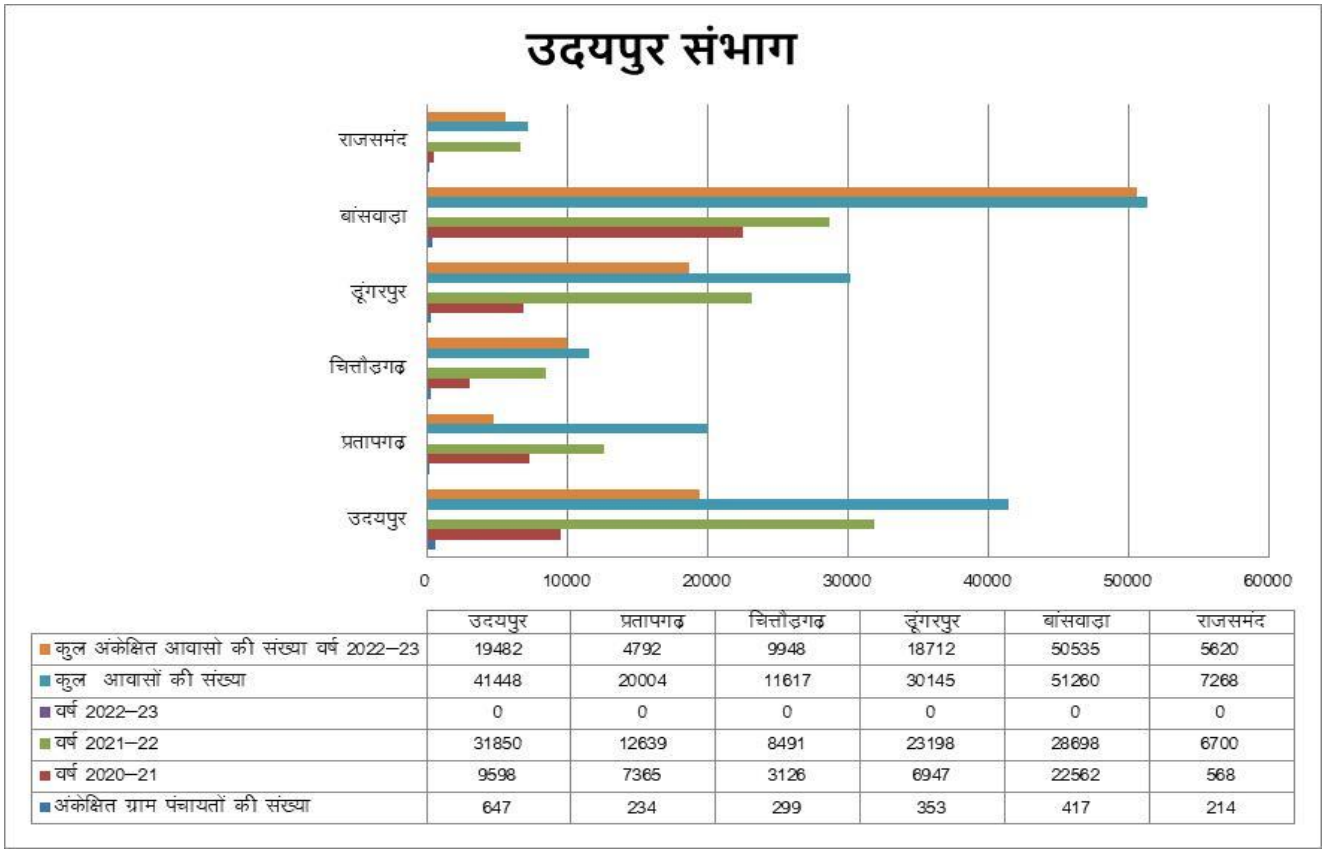

	उदयपुर	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	डूंगरपुर	बांसवाड़ा	राजसमंद
कुल अंकेक्षित आवासो की संख्या वर्ष 2022–23	19482	4792	9948	18712	50535	5620
कुल आवासों की संख्या	41448	20004	11617	30145	51260	7268
वर्ष 2022–23	0	0	0	0	0	0
वर्ष 2021–22	31850	12639	8491	23198	28698	6700
वर्ष 2020–21	9598	7365	3126	6947	22562	568
अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	647	234	299	353	417	214

बीकानेर संभाग :– श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चुरु, बीकानेर

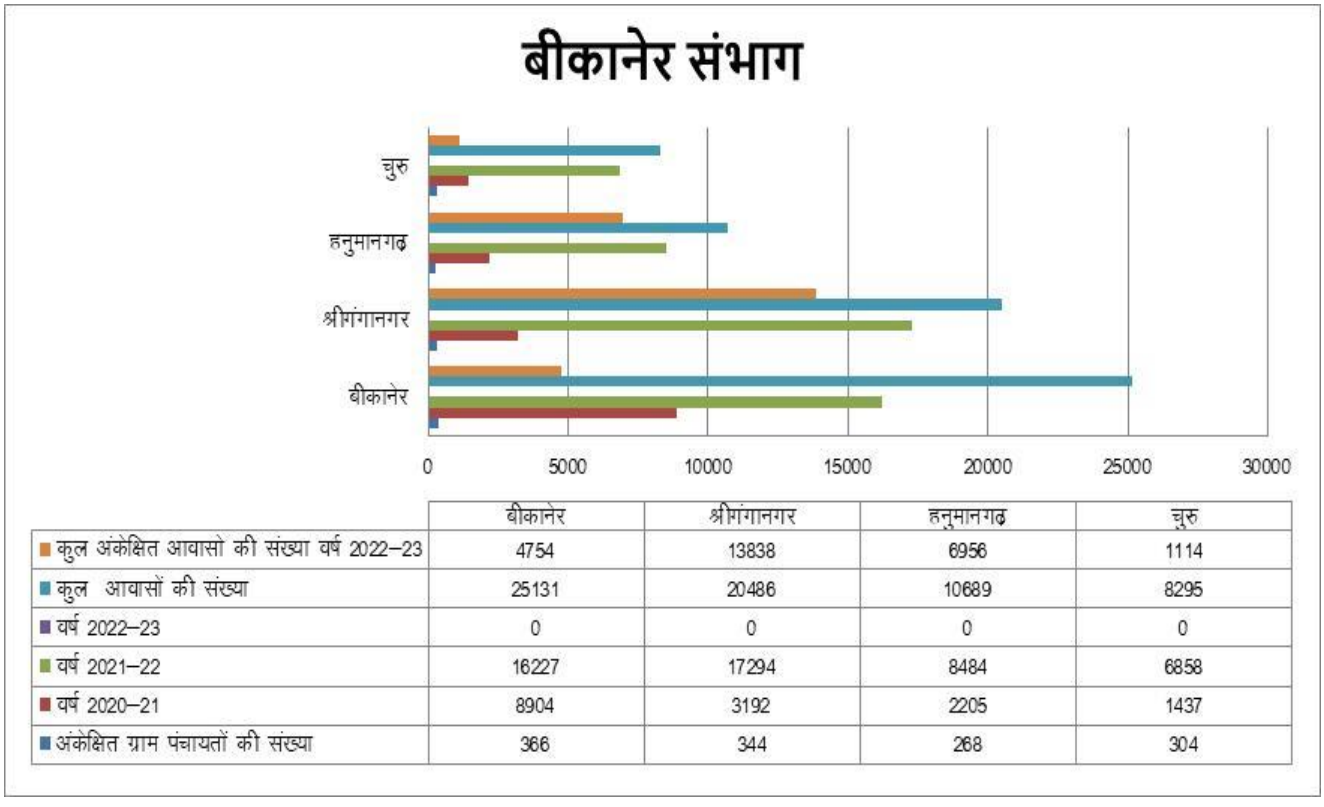

	बीकानेर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	चुरु
कुल अंकेक्षित आवासो की संख्या वर्ष 2022–23	4754	13838	6956	1114
कुल आवासों की संख्या	25131	20486	10689	8295
वर्ष 2022–23	0	0	0	0
वर्ष 2021–22	16227	17294	8484	6858
वर्ष 2020–21	8904	3192	2205	1437
अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	366	344	268	304

भरतपुर संभाग :– भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर

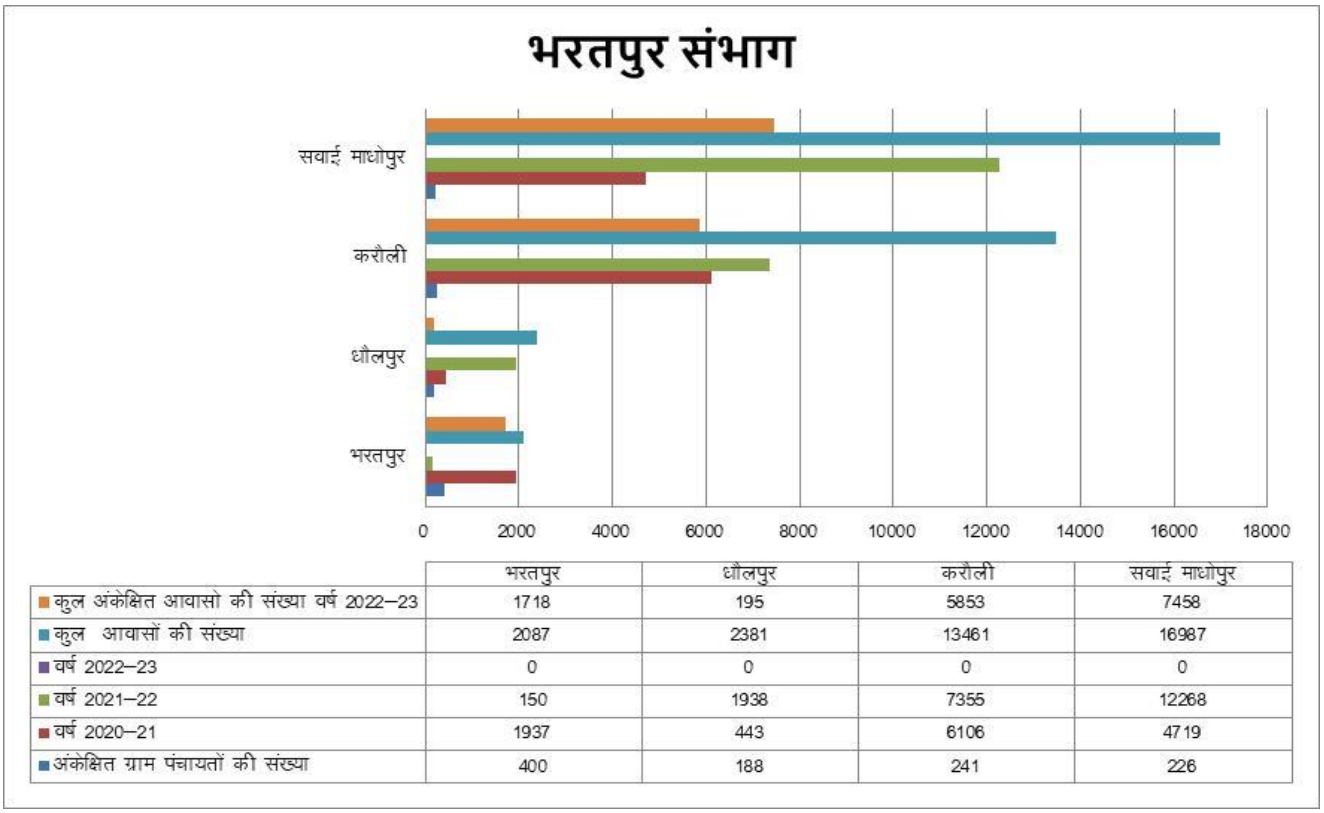

	भरतपुर	धौलपुर	करौली	सवाई माधोपुर
कुल अंकेक्षित आवासो की संख्या वर्ष 2022–23	1718	195	5853	7458
कुल आवासों की संख्या	2087	2381	13461	16987
वर्ष 2022–23	0	0	0	0
वर्ष 2021–22	150	1938	7355	12268
वर्ष 2020–21	1937	443	6106	4719
अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	400	188	241	226

कोटा संभाग :– कोटा, झालावाड, बुंदी, बारा

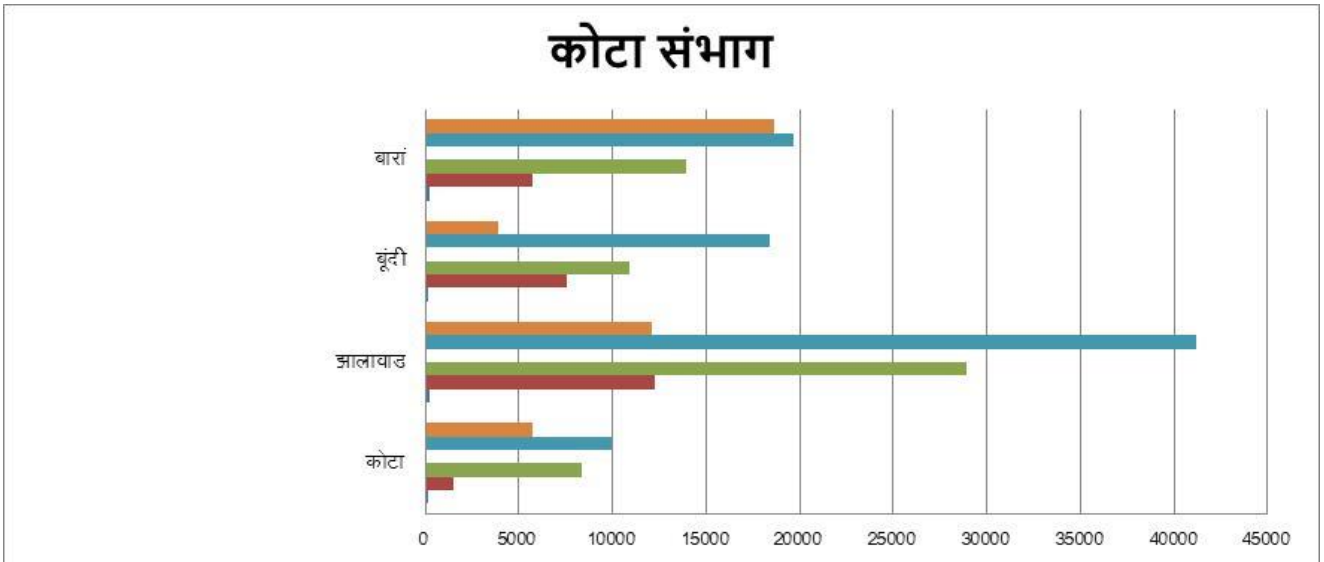

	कोटा	झालावाड	बूंदी	बारां
कुल अंकेक्षित आवासो की संख्या वर्ष 2022–23	5722	12070	3896	18602
कुल आवासों की संख्या	9932	41172	18423	19672
वर्ष 2022–23	0	0	0	0
वर्ष 2021–22	8392	28908	10892	13939
वर्ष 2020–21	1540	12264	7531	5733
अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	156	254	184	232

जोधपुर संभाग :– जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर

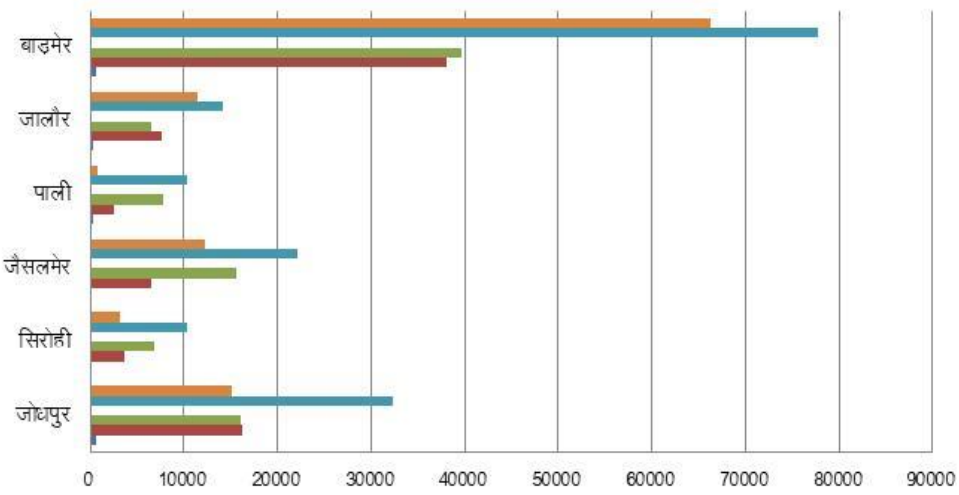

	जोधपुर	सिरोही	जैसलमेर	पाली	जालौर	बाड़मेर
कुल अंकेक्षित आवासो की संख्या वर्ष 2022–23	15112	3251	12278	796	11422	66197
कुल आवासों की संख्या	32382	10404	22153	10330	14098	77730
वर्ष 2022–23	0	0	0	0	0	0
वर्ष 2021–22	16135	6775	15575	7723	6538	39689
वर्ष 2020–21	16247	3629	6578	2607	7560	38041
अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	619	170	205	339	306	688

Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin
प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण

10. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वर्ष 2022–23 में किए गए आवासों का सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित मुख्य बिन्दु

- ❖ आवास की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी
- ❖ महात्मा गांधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
- ❖ वास्तव में मकान पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं
- ❖ अपात्र लाभार्थी को स्वीकृति (पहले से पक्का आवास होने या सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद स्वीकृति)
- ❖ लाभार्थी को नरेगा से कार्य उसके जॉब कार्ड की बजाय लाभार्थी की सहमति के बिना अन्य किसी के जॉब कार्ड पर दिया गया ।
- ❖ लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
- ❖ अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया ।
- ❖ राशि का दुरूपयोग (पूर्व निर्मित आवास पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त अनुदान राशि जारी)
- ❖ लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी रूप से पलायन ।
- ❖ लाभार्थी द्वारा अनुदान राशि जारी कराने में रिश्वत की शिकायत की गई ।
- ❖ राजकीय भूमि पर आवास निर्मित ।

10.1 अन्य सुविधा व अभिसरण की सूचना

- ❖ शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं ।
- ❖ शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं ।
- ❖ आवास में बिजली कन्क्शन है या नहीं ।
- ❖ राज्य /केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के प्रावधनों के अनुसार सोलर लाइट/सोलर स्ट्रीट लाइट है या नहीं ।
- ❖ स्वच्छ पेयजल है या नहीं ।
- ❖ उज्जवला योजनान्तर्गत गैस उन्नत चूल्हा उपलब्ध कराया गया है या नहीं ।
- ❖ आवास का उपयोग रिहायशी के लिए किया जा रहा है अथवा नहीं ।
- ❖ PMAY(G) लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ है या नही ।

11. वर्ष 2022–23 में किए गए सामजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वर्ष 2022–23 में कुल 33 जिलों की गूगल लिंक पर अपलोड 2194 अंकेक्षण रिपोर्ट्स का अध्ययन कर उक्त अनियमितताए दर्शायी गई है :-

क्र. स.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पाई गई अनियमितता का विवरण
1	अजमेर	भिनाय	बान्दनवाडा	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
		जवाजा	भेरूखेडा	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
				लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोडकर स्थायी पलायन
		मसूदा	दौलतपूरा II	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
2	अलवर	मुन्डावर	राजवाडा	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
				लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
		थानागाजी	अजबगढ़	आवास के गुणवता एवं क्षेत्रफल में कमी
		लक्ष्मणगढ़	बीचगावा	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
3	बांसवाडा			कोई अनियमितता नहीं पाई गई
4	बारां	अन्ता	बालदरा	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
5	भरतपुर	बयाना	कलसाडा	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
			तरसुमा	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोडकर स्थायी पलायन
6	भीलवाड़ा	मांडल	बागोर	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
				शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
			घोडास	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
		आसीन्द	गंगलास	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
7	बाड़मेर	गुडामलानी	भाखरपुरा	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
		गुडामलानी	राम जी की गोल	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोडकर स्थायी पलायन
8	बीकानेर	कोलायत	भोलासर	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
				शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
		बीकानेर	पलाना	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
				शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
			पुंगल	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
9	बून्दी	-	-	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
10	चितौडगढ़	-	-	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
11	चुरू	-	-	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
12	दौसा	लालसोट	बिलोनाकल्ला	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
		नांगलराजावतान	चुडियावास	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
				शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
13	धौलपुर	-	-	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
14	डुंगरपुर	-	-	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
15	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	अराईयावली	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
				लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
				अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
16	जयपुर	फागी	मांडी	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
				शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
17	जैसलमेर	-	-	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
18	जालौर	बगौडा	बाली	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
19	झालावाड़	झालरापाटन	कनवाडा	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
				स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नही
			भवानीमंडी	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।

20	झुंझुनूं	नवलगढ़	बडवासी	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
		मंडावा	हेतमासर	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
				बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
				स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नही
21	जोधपुर	मण्डोर	जालेली फौजदार	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
				आवास के गुणवता एवं क्षेत्रफल में कमी
		बाप	जाम्बा	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
				लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोडकर स्थायी पलायन
				बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
		कैरू	चौखा	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नही
				बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
				लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
22	करौली	नादौती	चिरावडा	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोडकर स्थायी पलायन
				लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
				अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
		हिंडौन	जगर	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
				लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोडकर स्थायी पलायन
				लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
23	कोटा	सुल्तानपुर	बडौद	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
				लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
24	नागौर	परबतसर	भड़सिया	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
		नावा	मुआना	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
25	पाली	सुमेरपुर	पालडी	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
		रोहिट	खारडा	आवास के गुणवता एवं क्षेत्रफल में कमी
				लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
26	प्रतापगढ़	-	-	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
27	राजसमन्द	-	-	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
28	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	कंडीप	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
29	सीकर	श्रीमाधोपुर	हांसपुर	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
		दांतारामगढ़	सुलियास	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
30	सिरोही	पिण्डवाडा	अजारी	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
				शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
		रेवदर	जीरावल	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
				शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
		शिवगंज	धुरवाना	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
31	श्रीगंगानगर	-	-	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
32	टोंक	देवली	बालून्दा	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोडकर स्थायी पलायन
			बालून्दा	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
33	उदयपुर	कुरावड	फिला	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
				महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
				शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
				अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
		ऋषभदेव	कागदर भाटिया	आवास के गुणवता एवं क्षेत्रफल में कमी
				शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं

11.1 अधिकतम अनियमितताओं का प्रतिशत विवरण

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की अधिकतम अनियमितताओं का प्रतिशत विवरण

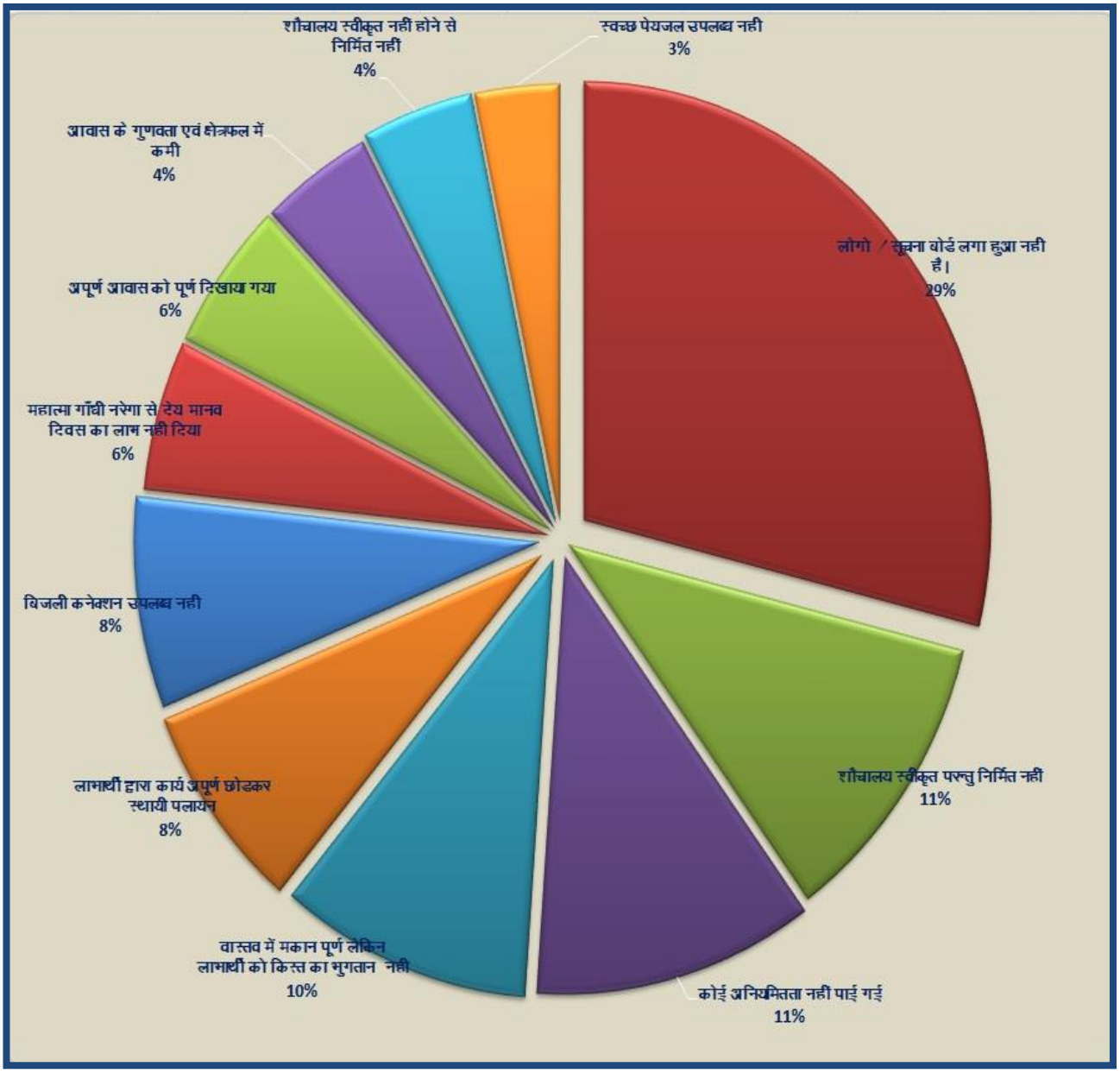

11.2 संभागवार अधिकतम अनियमितताओं का विवरण

संभाग	अनियमितताएं
अजमेर	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोडकर स्थायी पलायन
	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
भरतपुर	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोडकर स्थायी पलायन
	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
बीकानेर	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
जयपुर	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	आवास के गुणवता एवं क्षेत्रफल में कमी
	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नही
जोधपुर	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोडकर स्थायी पलायन
	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	आवास के गुणवता एवं क्षेत्रफल में कमी
	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नही
	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
कोटा	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
	लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।
	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नही
	कोई अनियमितता नहीं पाई गई
उदयपुर	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
	आवास के गुणवता एवं क्षेत्रफल में कमी
	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
	कोई अनियमितता नहीं पाई गई

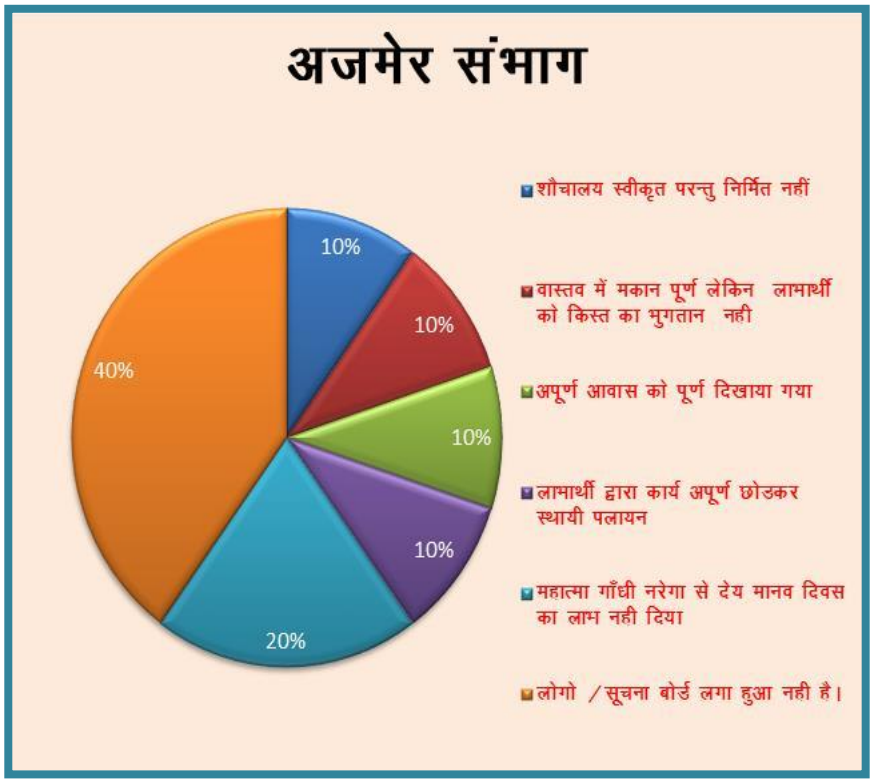
अजमेर संभाग
10%
10%
40%
10%
10%
20%
शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोउकर स्थायी पलायन
महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।

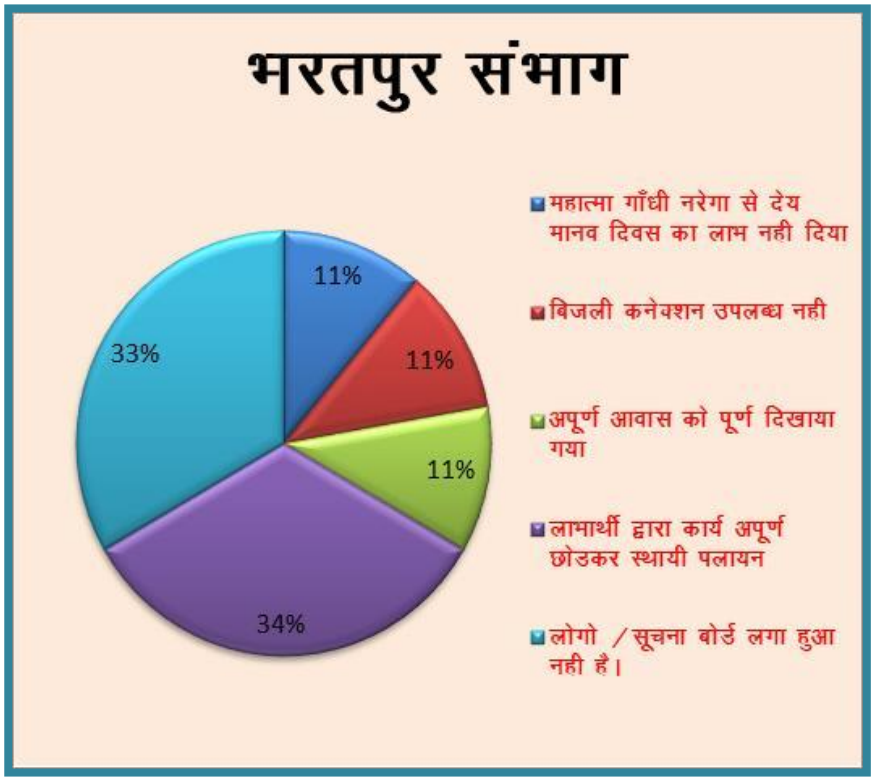
भरतपुर संभाग
11%
11%
33%
11%
34%
महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोउकर स्थायी पलायन
लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।

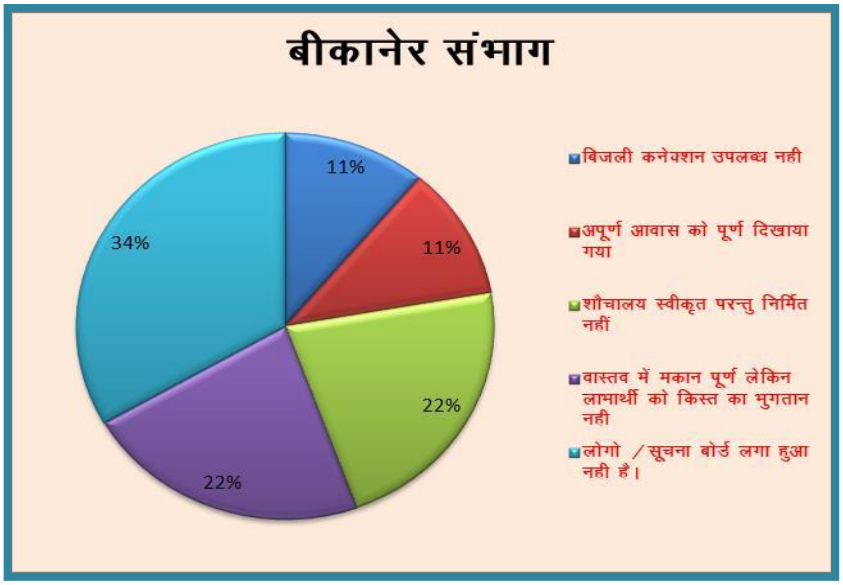
बीकानेर संभाग
11%
11%
22%
22%
34%
बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।

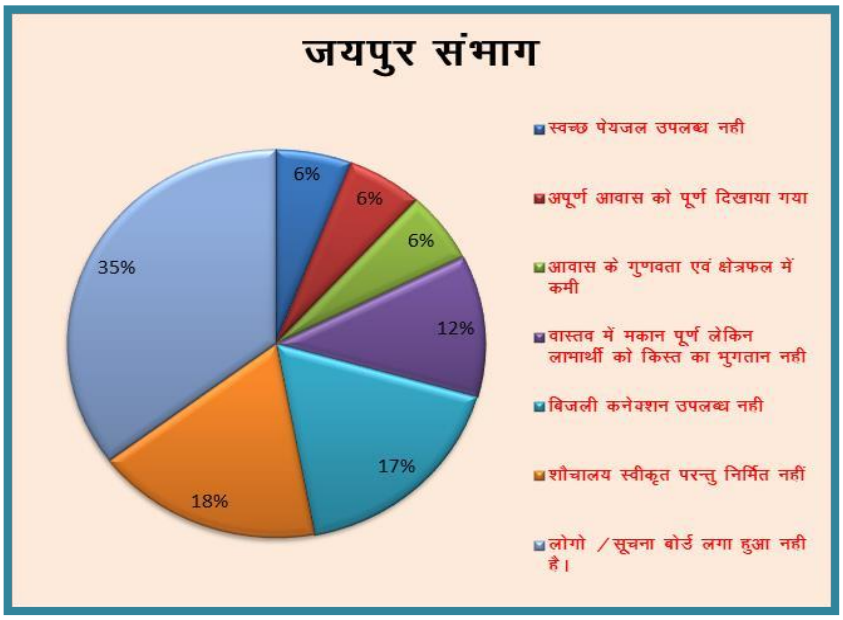
जयपुर संभाग
6%
6%
6%
12%
17%
18%
35%
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नही
अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
आवास के गुणवता एवं क्षेत्रफल में कमी
वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही
शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।

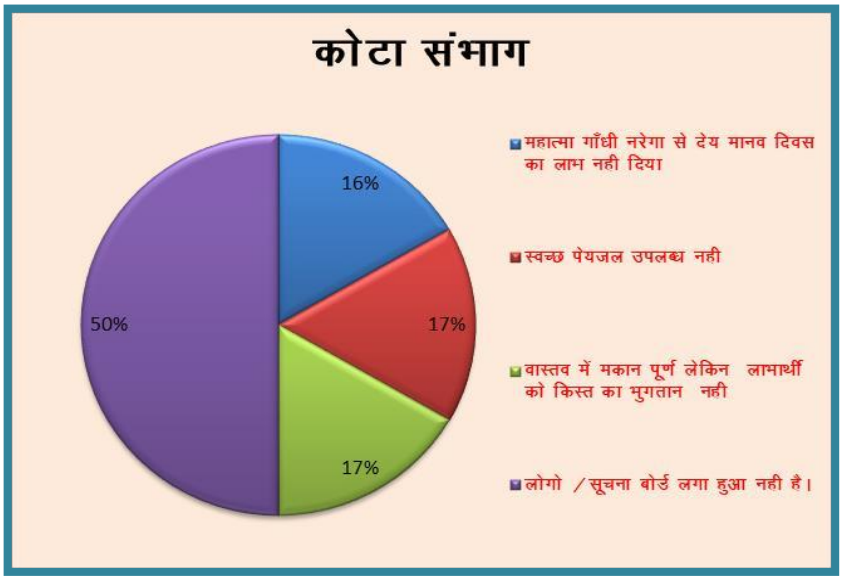
कोटा संभाग
16%
17%
17%
50%
महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नही दिया
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नही
वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नही
लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नही है।

जोधपुर संभाग

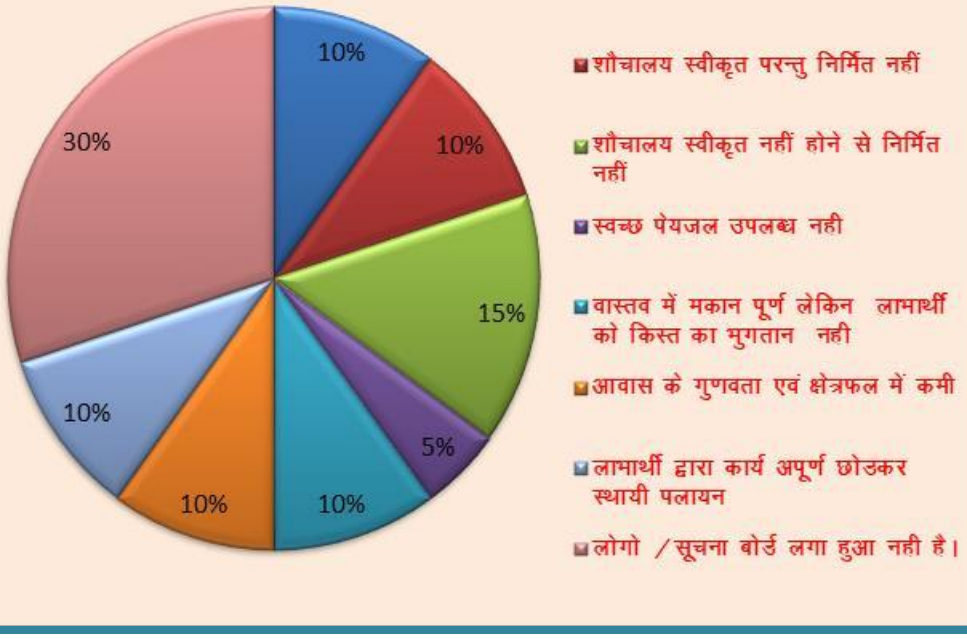

उदयपुर संभाग